न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी, डॉ लक्ष्मी नारायण बुनकर R.A.S

राजस्व वाद पत्र संख्या – 71/2018

वादी :–

श्यामलाल पुत्र मुलतानराम जाति जाट निवासी भुण्डाणा तहसील पीपाड़ शहर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. हनुमानराम पुत्र मुलतानराम जाति जाट
2. गिरधारीराम पुत्र माधाराम
3. भंवराराम पुत्र माधाराम
4. ओमाराम पुत्र माधाराम
5. दयालराम पुत्र गोपाराम
6. बाबुलाल पुत्र गोपाराम
7. सीतादेवी पत्नि गोपाराम सभी जातियान जाट निवासीयान भुण्डाणा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।
8. भूमिधारी जरीये तहसीलदार पीपाड़ शहर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :–

श्री ओमप्रकाश कच्छावाह वादी की ओर से

श्री राजेन्द्र देवड़ा प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक : 22.08.2019

वादीगण ने एक वाद पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम भुण्डाणा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में वादी व प्रतिवादी सं. एक से सात की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन आयी हुई है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है कि :–

खाता सं.	खसरा नम्बर	रकवा	किस्म
255	868	19 बीघा 01 बिस्वा	बा.ए.
256	574	02 बीघा 06 बिस्वा	बा.द्वितीय
	850	17 बीघा 18 बिस्वा	बा.ए.
257	342	07 बीघा 09 बिस्वा	बा.II

उक्त वर्णित आराजी को आगे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा ।

वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी सं. एक से सात की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन है जिस पर वादी संयुक्त रूप से साहुलियत अनुसार काबिज होकर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

काश्त करता आ रहा है । खाता सं. 255 की खसरा नम्बर 868 रकबा 19 बीघा 01 बिस्वा जमीन है जिसमें वादी का 1/5 में से 1/2 यानि 1/10 वां हिस्सा है तथा इसी प्रकार खाता सं. 256 की खसरा नम्बर 574, 850 कुल रकबा 20 बीघा 04 बिस्वा है जिसमें वादी का 1/5 हिस्सा में से 1/2 यानि 1/10 वां हिस्सा है इसी प्रकार खाता सं. 257 में खसरा नम्बर 342 रकबा 07 बीघा 09 बिस्वा में वादी का 1/2 वां हिस्सा है । उक्त हिस्सा अनुसार वादी का नाम सुमेरराम इन्द्राज है । वादी का बोलचाल भाषा में सुमेरराम नाम से जाना पुकारा जाता था, जबकि वादी का रेकार्ड में श्यामलाल नाम दर्ज है तथा वादी के नाम से आधाराकार्ड, भामाशाह कार्ड, परिवार कार्ड, स्कूल दस्तावेज आदि में वादी का नाम श्यामलाल दर्ज है, मात्र राजस्व रेकर्ड में सेवन से त्रुटिवंश घरेलु बोलचाल भाषा का नाम सुमेरराम दर्ज हो गया जिसकी जानकारी वादी को नही रही । वादी ने अपने हक हिस्सा की जमीन पर किसान केडिट कार्ड बनाने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किये तो हल्का पटवारी ने कहा कि वादी का नाम श्यामलाल के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में सुमेरराम दर्ज हो गया है, जिसको दुरूस्त करवाना पड़ेगा तथा वादी ने राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी की नकले दिनांक 01.05.2018 को प्राप्त की तब सम्पूर्ण जानकारी हुई । इस प्रकार वादी को सुमेरराम पिता मुलतानराम के स्थान पर श्यामलाल पुत्र मुलतानराम खातेदारी घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त फरमाया जाने हेतु वाद पत्र पेश करना पड़ रहा है । वादी का नाम श्यामलाल पुत्र मुलतानराम है, जबकि राजस्व रेकर्ड में घरेलु बोलचाल का नाम सुमेरराम पुत्र मुलतानराम दर्ज हो गया । वादी के नाम परिवार कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड व स्कूल दस्तावेज में श्यामलाल पुत्र मुलतानराम दर्ज है इसलिए राजस्व रेकर्ड दुरूस्त फरमाया जाकर सुमेरराम पुत्र मुलतानराम के स्थान पर श्यामलाल पुत्र मुलतानराम खातेदार घोषित कर दुरूस्ती की जाना आवश्यक है । बिनाय दावा बहक वादी बर खिलाफ प्रतिवादीगण वाद में वर्णित तथ्यो व परिस्थितियो की वजह से तथा दिनांक 01.05.2018 को वादी द्वारा राजस्व रेकर्ड की नकले हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क करने एवं हल्का पटवारी द्वारा वादी का नाम श्यामलाल के स्थान पर गलती से सुमेरराम दर्ज होने की बात कहने व राजस्व रेकर्ड दुरूस्ती का कहने पर व अप्रार्थी / प्रतिवादी सं. आठ द्वारा उक्त

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर शहर (हनुमानगढ़)

दुरूस्ती न्यायालय हाजा से ही करवाने का कहने पर बमुकाम भुण्डाणा, पीपाड़ शहर में पैदा हुआ । इस्तदुआ वादी निम्न प्रकार से है :– वादी के हक में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद डिक्री फरमाया जाकर ग्राम भुण्डाणा की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी में सुमेरराम पिता मुलतानराम के स्थान पर श्यामलाल पिता मुलतानराम के स्थान पर श्यामलाल पिता मुलतानराम खातेदार घोषित किया जाने का आदेश फरमावें व इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाने का आदेश फरमावे । अन्य अनुतोष जो हित वादी हो वादी के हक में अता फरमावें ।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये जिस पर प्रतिवादी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता राजेन्द्र देवड़ा ने वकालतनामा व जवाब प्रस्तुत किया है कि ग्राम भुण्डाणा की राजस्व सीमा में वादी व प्रतिवादी सं. एक से सात की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नम्बर 868, 574, 850, 342 रकबा कमशः 19 बीघा 01 बिस्वा, 02 बीघा 06 बिस्वा, 17 बीघा 18 बिस्वा,, 07 बीघा 09 बिस्वा आयी हुई है। वाद पत्र का पद सं. दो सही होने से स्वीकार है । वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी सं. एक से सात की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन है जिसमें वादी का नाम सुमेरराम दर्ज है वादी को बोलचाल की भाषा में सुमेरराम नाम से जाना पुकारा जाता था, जबकि वादी का रेकर्ड में श्यामलाल नाम दर्ज है । वादी के नाम से आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, परिवार कार्ड, स्कूल दस्तावेज आदि में वादी का नाम श्यामलाल दर्ज है मात्र घरेलु बोलचाल भाषा का नाम सुमेरराम दर्ज हो गया जिसकी जानकारी नही रही वादग्रस्त जमीन अविभाजित है । राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम श्यामलाल के स्थान पर सुमेरराम दर्ज हो गया जबकि सुमेरराम व श्यामलाल पुत्र मुलतानराम एक ही व्यक्ति है । शेष तथ्य सही है । वादी का नाम श्यामलाल पुत्र मुलतानराम है जबकि राजस्व रेकर्ड व बोलचाल भाषा में वादी को सुमेरराम पुत्र मुलतानराम नाम से जाना पुकारा जाने से त्रुटिवंश इन्द्राज हो गया जिसको दुरूस्त फरमाया जाकर सुमेरराम पुत्र मुलतानराम के स्थान पर श्यामलाल पुत्र मुलतानराम दर्ज किया जाता है तो सही है तथा सहखातेदार को कोई एतराज नही है । इस्तदुआ वादी है जो सही है वादी का

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

वाद स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम भुण्डाणा की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी में सुमेरराम पुत्र मुलतानराम के स्थान पर श्यामलाल पिता मुलतानराम खातेदार घोषित किया जाता है तो प्रतिवादी को कोई एतराज नही है । अतः जवाबदावा श्रीमान जी की सेवा में पेश है । वादी का वाद डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया है । इसी प्रकार प्रतिवादी सं 1 व 3 स 7 के सम्मन बाद तामीन प्राप्त होने पर भी अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी । प्रतिवादी सं. 8 तहसीलदार पीपाड़ शहर फोरमल पक्षकार है ।

बहस वकुलाय सुनी गयी, वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया है कि ग्राम भुण्डाणा के खसरा नम्बर 868, 574, 850, 342 में दर्ज नाम सुमेरराम पिता मुलतानराम के स्थान पर श्यामलाल पिता मुलतानराम किया जावे । इसी प्रकार वकील प्रतिवादी ने एडमिटेड जवाब प्रस्तुत किया है कि ग्राम भुण्डाणा के खसरा नम्बर 868, 574, 850, 342 में दर्ज सुमेरराम पिता मुलतानराम के स्थान पर श्यामलाल पिता मुलतानराम किया जाता है तो कोई आपति नही है ।

अतः वादीगण का वादपत्र राजस्व रेकर्ड अनुसार स्वीकार किया जाकर ग्राम भुण्डाणां के खसरा नंबर 868, 574, 850, 342, में दर्ज नाम सुमेरराम पिता मुलतानराम के स्थान पर श्यामलाल पुत्र मुलतानराम दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें ।

(डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 22.08.2019 को कोर्ट में लिखवाया जाकर मजमेआम सुनाया गया । फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

(डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

Scanned by CamScanner